मधुबनी की दो आत्मकथाएँ

हरिलाल सदाय

मेरा नाम हरिलाल सदाय है। हम लोग मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड के हरभंगा गाँव के रहनेवाले हैं। मेरे पिता का नाम श्रीलाल सदाय है। मेरा जन्म 3 फरवरी 1969 को हुआ था। हम लोग मुसहर हैं।

मेरे पिता जी मजदूरी करते थे। उन दिनों दिन भर काम करने पर तीन सेर अनाज मिलता था। उसमें भी कभी मजदूरी करने को मिलता था, कभी नहीं। सो कभी-कभी हम भूखे रह जाते थे। वैसे भी कभी भरपेट भोजन मिलता था, कभी आधा पेट भी नहीं मिलता था। पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था। माँ मुझे पुराना फटा हुआ कपड़ा दे देती थी। उसी फटे हुए कपड़े को कमर में लपेट कर मैं स्कूल जाता था। कभी नंगे बदन स्कूल चले जाते थे, तो वर्ग में शिक्षक बहुत डाँटते-मारते थे। कहते थे कि तुम्हारा पिता कैसा है। तब मैं रोने लगता था। मेरा जन्म होने के बाद मेरे पिता जी को आँख की बीमारी हो गयी थी। वह बीमारी अभी तक है। मुझे पढ़ने-लिखने में बहुत कठिनाई होती थी। किताब और कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता था। फिर भी मैं किसी तरह पढ़ाई करता रहा।

सातवीं पास करने के बाद जब मुझे मजबूर हो कर घर छोड़ना पड़ा, तो मैंने वाराणसी जिले में जा कर कालीन का काम सीखा। वह काम मैंने दो वर्ष तक किया। लेकिन पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर कालीन बनाने में मेरा मन नहीं लगता था। मैं यह सोचता रहता था कि मैं भी पढ़ता और अपने छोटे भाई को भी पढ़ाता। फिर मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाना शुरू किया।

जब मैं 14 वर्ष का था, तभी मेरी शादी हुई। दो साल बाद मेरा द्विरागमन हुआ। उसके बाद 1987 में बाढ़ आयी थी। बाढ़ से बहुत क्षति हुई। बाढ़ का

पानी घर में घुस गया था। कितने ही घर गिर गये। उस समय लोगों को केवल पाँच किलो गेहूँ मिला सरकारी रिलीफ से। हम लोगों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था।

1988 में एक लड़का हुआ। फिर 1992 में लड़की हुई। परिवार बढ़ने से घर की समस्या भी बढ़ने लगी। 1991 में मैं पथराही की संस्था सामाजिक-शैक्षणिक विकास केन्द्र में आ कर कार्यकर्ताओं से मिला, तो संस्था के सचिव श्री दीपक भारती ने कहा कि आपके गाँव में मैं एक सेंटर चलाऊँगा। मुझे सेंटर चलाने को कहा गया, तो मैंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद मुझे स्लेट और पेंसिल मिले। तब मैंने ग्राम हरभंगा में लोक शिक्षण केंद्र चलाना शुरू किया। उसके बाद स्वयंसेवी कार्यकर्ता श्रीहरि जी, दिगम्बर जी, निर्मला जी, योगी जी, श्रीचन्द्र जी और सदानन्द सुमन ने प्रेरणा दी कि गाँव में ग्राम कोष का निर्माण करना है। प्रशिक्षण पा कर मैंने गाँव में जा कर बैठक की और अपने समाज को बताया कि संगठन बनाना है और ग्राम कोष में रुपया जमा करना है। एक माह में हम लोग पाँच रुपया जमा करवाते हैं और गाँव में महीने में दो बार बैठक करवाते हैं। उसी संगठन और एकता से हम लोग सभी साथी मिल कर सामन्तों से संघर्ष करते हैं। हमने ब्लॉक से अपने गरीब समाज को बासगीत का परचा दिलवाया है। अभी हमारे गाँव में संगठन का काम और शिक्षा तथा स्वास्थ्य का काम चल रहा है। इससे हमारे गाँव में जागरूकता आयी है। लोगों ने अपने-अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना शुरू किया है।

31.5.1992 को महतो लोग लड़ाई करने के लिए मुसहरी टोले में घुस आये थे। वे बंदूक, पिस्तौल और बम ले कर घर लूटने आये थे। घर जलाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने मुसहरों से मार-पीट की। लेकिन उस दिन हम लोगों ने धैर्य से काम लिया। अपने संगठन के बल से हम लोगों ने लोक शक्ति संगठन का प्रदर्शन किया और ग्राम कोष के रुपये से उन लोगों पर मुकदमा दायर कर दिया। उस जमीन को कैप्चर करने की आवाज उठायी जो एक महन्त की है। महन्त का नाम नन्दकिशोर दास है। वह केस अभी तक चल रहा है। उस केस से वह महन्त परेशान है और वे महतो लोग भी परेशान हैं।

दिनांक 13.9.93 को हम स्वयंसेवी कार्यकर्ता सभी साथी मिल कर अनुमंडल कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किये थे अपनी माँगों को ले कर। 25 गाँवों से 25 हजार से ज्यादा लोग प्रदर्शन में आये थे। उसके बाद से अब सरकारी अफसर गरीबों की बात सुनते हैं और गाँव-गाँव में इन्दिरा आवास योजना के तहत हरिजन कॉलोनी बनाना शुरू किया है। गाँव में सरकारी कार्यकर्ता घूमते हैं और लोगों की समस्या लिख कर प्रखंड कार्यालय तथा अनुमंडल कार्यालय में ले जाते हैं। गाँव में चाँपा कल भी गड़वाते हैं। झोपड़ी बीमा भी लागू हो गया है।

तिलिया देवी

मैं **तिलिया** देवी, पति श्री नेयल सदाय, ग्राम खौये की रहनेवाली हूँ। मेरा जन्म मुसहर जाति में हुआ, जिस कारण समाज के बड़े लोग बचपन से ही घृणा करते थे। जब मैं बड़ी हुई, तो समाज के अमीर लोगों के यहाँ मजदूरी करती थी। गाय-बकरी चराती थी। जलावन-बिछका लाती थी। हमारी जाति में एक भी पढ़े-लिखे लोग नहीं थे और न ही शिक्षा के महत्व को जानते थे। समाज के ऊँचे लोग नहीं चाहते थे कि हरिजन-मुसहर का बच्चा पढ़े-लिखे। इस कारण मैं भी नहीं पढ़ सकी।

बचपन में मेरा विवाह हो गया। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल में मजदूरी करना शुरू कर दिया। एक वर्ष बाद पहला लड़का जन्म लिया। लड़का के जन्म लेने के बाद पति की गरदन टेढ़ी हो गयी तो परिवार का सारा भार मुझे ही उठाना पड़ा। एक के बाद एक पाँच-छह वर्षों में छह बच्चों ने जन्म लिया। चार लड़के, दो लड़कियाँ। इनमें से एक लड़का गर्भावस्था में ही ज्यादा काम करने के कारण मर गया। गरीबी और परिवार की चिंता को ले कर भारी-भारी काम करना पड़ता है।

मैं भूमिहीन हूँ। अपनी जमीन नहीं है। सरकार की जमीन पर बाँधी हुई हूँ। कास-सीकी की दौरी बना कर बेचती हूँ। साग भी बेचती हूँ। बकरी पाले हुए हूँ।

गाँव में महिला संगठन बनाने की बात शुरू हुई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोग ग्राम कोष में 5 रुपया प्रति परिवार जमा करने लगे। पुरुष भाई सब विरोध करते थे। वे महिला बहनों को उत्पीड़ित करने लगे। हमारे पति ने हमको इतना मारा कि हम एक महीने तक पीड़ित रहे। पर हमने मन में ठान लिया था कि गाँव में संगठन बना कर जुल्म करनेवालों के विरोध में लड़ना है। महिला बहनों ने हमेशा सहयोग किया। सबसे ज्यादा सहयोग पगिया बाई ने किया। ग्राम कोष के रुपये से गाँव के लोगों को खूब फायदा होता है। ग्राम कोष से पैसा ले कर पंजाब-भदोही जाते हैं। गरीब की लड़की की शादी होती है। बीमार होने पर इलाज होता है। अब हमें महाजन के यहाँ हाथ नहीं पसारना पड़ता। सूदखोरी बन्द हो गयी हैं। लोग ग्राम कोष से रुपया लेते हैं और फिर कमा कर दे देते हैं। इस महाजन के यहाँ इज्जत नीलाम नहीं होती।

जब संगठन और ग्राम कोष से फायदा होने लगा, तो पुरुष लोग संगठन में आने लगे। तब गाँव में लोक शक्ति संगठन बना और पुरुषों का सहयोग मिलने पर ग्राम कोष में भी काफी रुपया हो गया। अभी दो वर्ष में 3 हजार 5 सौ रुपया जमा किया है। सामाजिक-शैक्षणिक विकास केंद्र के दीपक भाई की प्रेरणा से हम लोगों ने एस. डी. ओ., झंझारपुर के सामने प्रदर्शन भी किया। अब मैं

सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। गाँव में जा कर महिलाओं की बैठक करती हूँ। हम गाँव-गाँव जाती हैं और महिला संगठन का काम करती हैं। बैठक रात में जा कर करती हूँ, क्योंकि महिला बहनें दिन भर काम में लगी रहती हैं। बैठक में हम संगठन, ग्राम कोष, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंधविश्वास, बाल विवाह, बाल मजदूरी, दहेज, परदा प्रथा, विधवा विवाह, पुरुषों द्वारा महिला पर जुल्म आदि विषयों की जानकारी देते हैं।